(75)

L/46/2014-NALSA
November 19,2015

The Member Secretary
All the State Legal Services Authorities

Sub: National Lok Adalat to be held on 12/12/2015

Dear Sir/Madam,

Please refer to my letter No. L/1/2015 dated 15/10/2015 sent through e-mail.

NALSA had mentioned 18 categories of cases in the aforesaid letter which is illustrative not exhaustive. The Legal Services Institutions can identify Civil and Criminal Compoundable Offence cases, both pending as well as pre-litigative matters for placing before the Lok Adalat. I would like to draw your kind attention to the following resolutions passed in the 13th All India Meet held on 21-22 March, 2015 at Ranchi:

- ***It was resolved that only accurate and real figures of disposal of cases in Lok Adalats shall be reported.***

- ***It was further resolved that under the Category of Pre-litigation cases, only those cases shall be counted which would result in passing of an executable decree immediately or in future, if disposed of through Lok Adalat. Other matters may be taken up separately and may be recorded under the separate head of " Service provided by DLSA".***

You are, therefore,requested to adhere to the above resolutions for identifying and placing thecases before the Lok Adalat.

You are requested to keep separate record of prosecution withdrawal cases, stop of proceedings under section 258 Cr.P.C. and plea bargaining matters as Lok Adalat Judge cannot pass an order in these matters.

With regard to reporting of matters settled in National Lok Adalat on 12/12/2015,the previous reporting system will not be used. We are in the process of preparation of categories for reporting of settled cases which would be communicated by the first week of December, 2015.

With regards,

Yours sincerely,

Asha Menon
Member Secretary, NALSA

Respected member Secy Sir,

2859
19/11/15

8

Satya Narain Agnihotri, HJS
Member Secretary

National Lok Adalat
12-12-2015

U.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

(Constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987)

To

All the District Judges/Chairpersons,
District Legal Services Authorities,
Uttar Pradesh.

No. 3601 /SLSA-112/2015(Ri/Saran) Dated : November 20,2015

Sub.: **National Lok Adalat on 12th December, 2015.**

Madam / Sir,

As you are aware that in compliance of the directions of Hon'ble the Chief Justice of India & Hon'ble the Executive Chairman, National Legal Services Authority and further as approved by the Hon'ble Chief Justice, Allahabad High Court & Patron-in-Chief, U.P. State Legal Services Authority and the Hon'ble Executive Chairman, UPSLSA, the National Lok Adalat is scheduled to be held on ***12th December, 2015 (Saturday).***

For effective and efficacious outcome of the NLA, the Hon'ble Executive Chairman has been pleased to direct as under:-

"Efforts must also be made to see that all those cases pending before the High Court or the courts subordinate to it, which are suitable for the said purpose specially the old cases, are identified at the earliest and referred for the Lok Adalat.

Care be also taken by the officers of subordinate courts that only those cases are referred to Lok Adalat, which are ripe for hearing and are likely to be settled in the Lok adalat by the conciliatory efforts. The tendency of getting large number of chalani cases first filed and then get them settled with a view to show that large number of cases are settled in the Lok Adalat, must be deprecated.

Pre-litigation cases should also be found out for the purposes of settlement in the Lok Adalat."

Anent the same matter, NALSA vide letter dated, 19-11-2015 has reminded about the resolution adopted in the 13th All India Meet, which is as under:-

"It was resolved that only accurate and real figures of disposal of cases in Lok Adalats shall be reported.

It was further resolved that under the Category of Pre-litigation cases, only those cases shall be counted which would result in passing of an executable decree immediately or in future, if disposed of through Lok Adalat. Other matters may be taken up separately and may be recorded under the separate head of "Service provided by DLSA".

You are accordingly requested to take necessary steps in accomplishment.

Yours faithfully,

20.11.2

(Satya Narain Agnihotri)
Member Secretary

IIIrd Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001 (U.P.)
Phones (O) : 2286395, 2286260 Fax : 0522-2286260 E-mail : upslsa@up.nic.in Website : www.upslsa.up.nic.in
Toll Free No. 1800 419 0234

तृती
(फै

महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या–605 / सात–न्याय–7–2015–23 / 2013

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख सचिव,
सूचना विभाग,
उ0 प्र0 शासन।

2– आयुक्त,
मनोरंजनकर, उ0 प्र0।

न्याय अनुभाग–7(क0नि0) लखनऊः दिनांक 21 नवम्बर, 2015

विषयः– **प्रदेश स्तर पर दिनांक 12.12.2015 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार–प्रसार कराने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सदस्य सचिव, उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या 3462 / एसएलएसए–112 / 2015 दिनांक 04.11.2015 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि मा0 मुख्य न्यायाधिपति, मा0 उच्चतम न्यायालय / मा0 मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के आदेशों के अनुपालन में प्रदेश स्तर पर **दिनांक 12.12.2015 (शनिवार)** को **"राष्ट्रीय लोक अदालत"** आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्तावित **"राष्ट्रीय लोक अदालत"** का प्रचार–प्रसार एवं उसकी सूचना सर्वसाधारण को प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा सिनेमा घरों आदि अन्य प्रसारण माध्यम से प्रसारित कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Sh. Saran 24.11.15

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–605 (1) / सात–न्याय–7–2015–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।

2– सदस्य सचिव, उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जवाहर भवन लखनऊ को उनके पत्र संख्या 3462 / एसएलएसए–112 / 2015 दिनांक 04.11.2015 के संदर्भ में।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।

राष्ट्रीय लोक अदालत का
आयोजन दिनांक 12-12-2015

संख्या-डब्लू-244 / 1-12-2014-राजस्व-12

प्रेषक,

डा0अशोक कुमार वर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,उ0प्र0,
लखनऊ।

2-चकबन्दी आयुक्त,
उ0प्र0,लखनऊ।

3-निदेशक,
भूमि अध्याप्ति निदेशालय,
राजस्व परिषद,उ0प्र0,
लखनऊ।

4-समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।

5-समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

राजस्व अनुभाग-12 लखनऊः दिनांकः 24 नवम्बर, 2015

विषयः- राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 12-12-2015 को किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री सत्य नारायन अग्निहोत्री, सदस्य सचिव, उ0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या-3580 / एस.एल.एस.ए.-112 / 2015(आर.आई. / सरन), दिनांक 18-11-2015 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त इंगित पत्र में की गयी अपेक्षानुसार दिनांक 12-12-2015 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए उपयुक्त वादों को चिन्हित करते हुए वादकारियों को समय से नोटिस जारी करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा राजस्व वादों के निस्तारण के लिए समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि पूर्व में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के अनुसार ही तैयारी व अन्य अपेक्षित कार्यवाही किया जाना है।

2- उक्त के साथ आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्य का सुचारुरुप से संचालन सुनिश्चित किये जाने हेतु पंचायत चुनाव की मतगणना में उन अधिकारियों / कर्मचारियों को मतगणना ड्यूटी से मुक्त रखा जाये, जिनकी ड्यूटी लोक अदालत के सफल संचालन हेतु लगायी जाये, ताकि लोक अदालत के कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

3- आपसे यह भी अनुरोध है कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए उन्हें निदेशित करें कि वे सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित नोडल अधिकारी व अन्य सम्बधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 अशोक कुमार वर्मा)
सचिव।

संख्या तद्दिनांक :

प्रतिलिपि श्री सत्य नारायन अग्निहोत्री, एज0जे0एस0, सदस्य सचिव, उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,तीसरी मंजिल, जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ-226001 को उनके पत्र दिनांक 18-11-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(डा0अशोक कुमार वर्मा)
सचिव।

राष्ट्रीय लोक अदालत

संख्या-23/2015/606/सात-न्याय-7-2015-23/2013

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख/ सचिव
उ0 प्र0 शासन।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0।

3- महानिदेशक, रजिस्ट्रेशन/ आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद/ आयुक्त, चकबन्दी / महानिदेशक, अभियोजन / सचिव, विधिक सेवा समिति, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/ इन्सपेक्टर जनरल पी0जी0/ निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ /वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एल0 ए0/ महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद / आयुक्त, आवास विकास परिषद / उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण / महाप्रबन्धक, यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 / डी0 आर0 एम0 रेलवे /आयुक्त, मनोरंजन कर/ व्यापार कर अभिकरण/ निदेशक, पेशन/ महाप्रबन्धक, यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0, उ0 प्र0।

न्याय अनुभाग-7 (क0नि) लखनऊ: दिनांक 21 नवम्बर, 2015

विषय- प्रदेश स्तर पर दिनांक 12-12-2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में सदस्य सचिव, उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ जवाहर भवन लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या-3462/एस एल एस ए-112/2015 दिनांक-04-11-2015 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि मा0 मुख्य न्यायाधिपति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद /मा0 मुख्य संरक्षक 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के आदेशों के अनुपालन में प्रदेश स्तर पर दिनांक 12-12-2015 (शनिवार) को "राष्ट्रीय लोक अदालत" का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत : इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावित "राष्ट्रीय लोक अदालत" के सफल आयोजन हेतु निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

(1) "राष्ट्रीय लोक अदालत" को सफल बनाने हेतु अपने विभागों से संबंधित अधिकाधिक वादों का चिन्हांकन कराकर उक्त वादों "राष्ट्रीय लोक अदालत" के माध्यम से निस्तारण कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(2) समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/ अधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि वह "राष्ट्रीय लोक अदालत" के आयोजन हेतु अपने-अपने विभाग में नोडल अधिकारी नामित करें जो सदस्य सचिव उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तृतीय तल जवाहर भवन एनेक्सी लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी से समन्वय स्थापित करेगें।

(3) "राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

-2-

अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण/फैक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

पत्रॉक-डीजी-दस-वि0प्र0-रिट-372/2013 दिनांकःलखनऊःनवम्बर 18 ,2015

सेवा मे,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश ।

विषयः दिनॉक 12-12-2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के सम्बन्ध में ।

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री सत्य नारायन अग्निहोत्री, सदस्य सचिव,उ0प्र0 विधिक सेवा अधिकरण के संलग्न पत्र संख्या-3529/एसएलएसए-112/2015(आरआई/सरन) दिनॉक 16-11-2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनॉक 12-12-2015 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय से तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

2- इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से यह अपेक्षा की गयी है कि प्रत्येक जनपद में एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करते हुए उन्हें जनपदीय न्यायालयों से सामन्जस्य स्थापित कर सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया जाय ।

3- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिप्रेक्ष्य में अपने जनपद से अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए उन्हें निर्देशित कर दें कि प्रकरण से सम्बन्धित समस्त सम्मनों का तामीला शतप्रतिशत कराना सुनिश्चित करें और जनपदीय न्यायालय से सामन्जस्य स्थापित्त कर प्रकरणों का निस्तारण भी करायें । नामित किये गये नोडल अधिकारियों के नाम तथा सी0यू0जी0 नम्बर इस मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से निर्गत पूर्व निर्देशों का भी अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

संलग्नक-यथोपरि।

(मुथा अशोक जैन)
पुलिस महानिरीक्षक(लो0शि0),
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सम्बन्ध में वॉछित कार्यवाही अपने निकट पर्यवेक्षण में कराने का कष्ट करें :-

1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

....

प्रतिलिपि सदस्य सचिव, मा0 उ0प्र0 विधिक सेवायें अधिकरण,तृतीय तल जवाहर भवन, लखनऊ को उनके उक्त संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

NLA 1/12/15

(98)

कार्यालय–अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिपत्र संख्या–वा0क0अधि0 / रा0लो0अदा0 / — / 2015 दिनाँकः नवम्बर21, 2015

समस्त सदस्य,
वाणिज्य–कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

सदस्य सचिव, यू0पी0स्टेट लीगल सर्विसेस अथारिटी के पत्र संख्या–3572 दिनाँक 18.11.2015 (छाया–प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया है कि Hon'ble the Chief Justice, Supreme Court of India /Patron-in-chief, NALSA द्वारा निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनाँक 12.12.2015 दिन शनिवार को किया जायेगा जिसका उद्देश्य सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण कराया जाना है।

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने हेतु मुख्यालय के आदेशांक–2222 / 15 दि0 21.11.15 द्वारा मुझे नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार है:–

1–	अधिकारी का नाम	**श्री ए0के0 मिश्रा**
2–	पदनाम	सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–3, लखनऊ
3–	कार्यालय का दूरभाष	0522–2288641
4–	फैक्स नम्बर	0522–2286527
5–	मोबाइल नम्बर	9415456767

उपरोक्त के सम्बन्ध में आप से अनुरोध है कि आप सभी राज्य प्रतिनिधि एवम् विभागीय अधिकारियों तथा व्यापारियों या उनके अधिवक्ताओं के साथ मीटिंग कर ऐसी अपीलों को चिन्हित करें जिनका निस्तारण दिनाँक 12.12.2015 को लोक अदालत का आयोजन कर सुलह वार्ता के माध्यम से कराया जा सके। कृत कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत करायें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

ह0 दि0 21-11-15
(ए0के0 मिश्रा)
नोडल अधिकारी,
सदस्य, वाणिज्य–कर अधिकरण,
पीठ.–3, लखनऊ।

पृष्ठांकन– वा0क0अधि0 / रा0लो0अदा0 /2226 / 2015 तद्दिनाँकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य, सचिव, यू0पी0 स्टेट लीगल सर्विसेज अथारिटी, लखनऊ।

2– कमिश्नर वाणिज्य–कर, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह

.........2

Sri Sarvan 28/11/15

अपने अधिनस्थ विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे अधिकरण के सम्बन्धित पीठों के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर ऐसी अपीलों को चिन्हित करने का प्रयास करें जिनका निस्तारण सुलह समझौते से लोक आदालत के माध्यम से संभव हो सकता है।

3– वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
4– वरिष्ठ सहायक (विवरण), मुख्यालय।

(ए0के0 मिश्रा)
नोडल अधिकारी,
सदस्य, वाणिज्य–कर अधिकरण,
पीठ.–3, लखनऊ।

N LA 11/12/15

(99)

भारत सरकार / Government of India

ऋण वसूली अधिकरण

वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

9/2ए, पन्ना लाल रोड
इलाहाबाद, (उ.प्र.)-211002
9/2A, Panna Lal Road
Allahabad, (U.P.)-211002
Phone - 2256633
2256634
2256928
2256121
Fax : 0532-2256125

पत्रांक / Ref. No. 1022 दिनांक / Date 19-11-2015

To

The CMD/Chairperson of
All public/private sector Banks/Financial Institutions
At their Head Office/Corporate Office

Subject: Next "National Lok Adalat" to be held on12th December, 2015 (Saturday).

Dear Sir,

I am to inform that as per the directions of the Hon'ble Executive Chairman, NALSA as conveyed to us by the U.P. State Legal Services Authority, the next "National Lok Adalat" related to Bank Recovery matters will be held on 12th December, 2015.

It is a well known fact that National Lok Adalat is an economical means for justice available to the litigants as well as to banks to recover outstanding dues within a time-bound period.

Since the date has been informed to us only today; the time available is very short to make preparations. It is therefore, requested to direct all the concerned Officials of your Bank dealing with debts within the area under jurisdiction of DRT Allahabad to identify potential cases for settlement and start issuing Notices to the parties. Difficult loan account holders may be contacted for submission of their applications so that mediation may be started in such cases for recovery of bad debts.

There is no doubt that your Bank has always strived for better participation in Lok Adalats, however, to ensure full participation by your officers in the upcoming National Lok Adalat on 12th December, 2015 you may direct your team to involve themselves in the Lok Adalat with enthusiasm and result oriented approach to recover public dues and to bring NPA level down. It would be fully appreciated if your Bank would set an example to boost up the morale of the entire team by whole hearted involvement in the process.

Please acknowledge this communication and apprise us regarding the action taken.

Sri Sarans 20/11/15

Yours faithfully

-Sd-

(S. K. Tripathi)
Secretary/Registrar

Copy for information to: Member Secretary U.P. State Legal Services Authority IIIrd floor, Jawahar Bh. Annexe Lucknow—226001 (U.P.)

Registrar
Debts Recovery Tribunal,
Allahabad

19/11/15

प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

श्री प्रदीप कुमार,
अपर महानिरीक्षक निबन्धन(प्रशा0)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्याः /एस0टी0म0नि0/शि0का0लख0/2015 दिनांकः नवम्बर, 2015

विषयः दिनांक 12 दिसम्बर, 2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या 3560/एस0एल0एस0ए0–112/2015 दिनांक 18 नवम्बर, 2015 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य न्यायाधीश, मा0 उच्चतम न्यायालय/ मा0 अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रदेश में दिनांक 12 दिसम्बर, 2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाए जाने हेतु जन सामान्य में व्यापक प्रचार–प्रचार करते हुए विभाग स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाय।

उक्त के कम में दिनांक 12 दिसम्बर, 2015 को प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु आपको नोडल अधिकारी नामित किया जाता है तथा अपेक्षा की जाती है कि समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश को दिनांक 12 दिसम्बर, 2015 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सूचना से अवगत कराते हुए अधिकाधिक वादों का निस्तारण करने के निर्देश देना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित वादों तथा उससे उद्ग्रहीत धनराशि की सूचना उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध करायें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(आशीष कुमार गोयल)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः 4160(1)/एस0टी0म0नि0/शि0का0लख0/2015 दिनांकः नवम्बर, 2015

प्रतिलिपिः– सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को उनके पत्र संख्या 3560/एस0एल0एस0ए0–112/2015 दिनांक 18 नवम्बर, 2015 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आशीष कुमार गोयल)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पेन्शन निदेशालय,उत्तर प्रदेश,आठवाँ तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाषः 0522-2287044
0522-2287080
फैक्सः 0522-2287080
ई-मेल- pendir@up.nic.in

पत्रांक-पे.नि./मानी./रा.लो.अ./2015/3112 दिनांक 21 नवम्बर,2015

सेवा में,

अपर निदेशक,
कोषागार एवं पेंशन,
उत्तर प्रदेश।

विषयः दिनांक 12दिसम्बर,2015 को "राष्ट्रीय लोक अदालत" को आयोजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया उ.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या-3558/SLSA-112/2015 दिनांक 18नवम्बर,2015 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 12.12.2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। अतः अनुरोध है कि कृपया दिनांक 12.12.2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु अपने मण्डल में पेंशन अदालत का आयोजन कर दीर्घकाल से लम्बित अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक
पेंशन

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, उ.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तृतीय तल, जवाहर भवन, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 18नवम्बर,2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक
पेंशन

Sri Saran
24/11/15

11/12/15
NLA

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण/राष्ट्रीय लोक अदालत–12.12.2015/फैक्स/ईमेल

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ ।

पत्रॉकःपॉच–3–5–1998(2)/ 5664 /2015   लखनऊः दिनॉकः 24 नवम्बर,2015

समस्त अपर निदेशक अभियोजन/
समस्त संयुक्त निदेशक अभियोजन/
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

विषयः– दिनांकः 12/12/2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा अधिकरण के पत्र संख्याः 3656/एस.एल.एस.ए.–112/2015 दिनांकः 18/11/2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा दिनांकः 12/12/2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु प्रत्येक अभियोजन अधिकारी/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी को जनपद स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु उपयुक्त वादों का चिन्हांकन किये जाने एवं जनपदवार नोडल अधिकारी नियुक्त किये हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा अधिकरण के पत्र संख्याः 3656/एस.एल.एस.ए.–112/2015 दिनांकः 18/11/2015 की छाया प्रति संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पूर्व की भांति दिनॉकः 12/12/2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु प्रत्येक अभियोजन अधिकारी/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी को सी0आर0पी0सी0 की धारा 107/116, धारा–133 एवं धारा–145, आयुध अधिनियम एवं अन्य के अन्तर्गत आने वाले वादों का यथा–सम्भव अधिकाधिक चिन्हांकन करके लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण सुनिश्चित कराने एवं धारा 253 सीआरपीसी के अन्तर्गत मा0 न्यायालय के सहयोग से कतिपय मामलों का मिस्तारण (अवदोषमुक्ति/उन्मोचन) किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों के जनपदवार नामित नोडल अधिकारियों का नाम मोबाईल नम्बर एवं निस्तारण हेतु चिन्हॉकित अभियोग की संख्या सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा अधिकरण, तृतीय तल, जवाहर भवन लखनऊ–226001 (फैक्सः 0522–2286260ए ईमेल–**upslsa@up.nic.in**) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं एक प्रति अभियोजन निदेशालय को भी उपलब्ध कराये।

संलग्नकः यथोक्त ।

(बी0पी0 श्रीवास्तव)
अपर निदेशक (विधि)
उ0प्र0 लखनऊ ।

प्रतिलिपिः–

(1) सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा अधिकरण, तृतीय तल, जवाहर भवन लखनऊ को पत्र दिनॉकः 18 नवम्बर, 2015 के सन्दर्भ मे सचनार्थ ।

(बी0पी0 श्रीवास्तव)
अपर निदेशक (विधि)
उ0प्र0 लखनऊ ।

Sri Sri Bajan
26/11/15

112/NLP

महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या– 614 / सात–न्याय–7–2015–23 / 2013

प्रेषक,

अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

न्याय अनुभाग–7(क0नि0) लखनऊः दिनांक 24 नवम्बर, 2015

विषयः– **प्रदेश स्तर पर दिनांक 12.12.2015 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार–प्रसार कराने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सदस्य सचिव, उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या 3384 / एसएलएसए–112 / 2015 दिनांक 19.11.2015 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि मा0 मुख्य न्यायाधिपति, मा0 उच्चतम न्यायालय / मा0 मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के आदेशों के अनुपालन में प्रदेश स्तर पर **दिनांक 12.12.2015 (शनिवार)** को **"राष्ट्रीय लोक अदालत"** आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्तावित **"राष्ट्रीय लोक अदालत"** का प्रचार–प्रसार एवं उसकी सूचना सर्वसाधारण को प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा सिनेमा घरों आदि अन्य प्रसारण माध्यम से प्रसारित कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(अब्दुल शाहिद)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 614 (1) / सात–न्याय–7–2015–तददिनांक।

प्रतिलिपि सदस्य सचिव, उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जवाहर भवन लखनऊ को उनके पत्र संख्या 3384 / एसएलएसए–112 / 2015 दिनांक 19.11.2015 के संदर्भ में।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।

Sri Sanjay
26/11/15

112/15
RLP

महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या– 616 / सात–न्याय–7–2015–23 / 2013

प्रेषक,

अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सूचना विभाग,
उ0 प्र0 शासन।

न्याय अनुभाग–7(क0नि0)

लखनऊ: दिनांक 24 नवम्बर, 2015

विषयः– **प्रदेश स्तर पर दिनांक 12.12.2015 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार–प्रसार कराने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सदस्य सचिव, उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या 3384 / एसएलएसए–112 / 2015 दिनांक 19.11.2015 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि मा0 मुख्य न्यायाधिपति, मा0 उच्चतम न्यायालय / मा0 मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के आदेशों के अनुपालन में प्रदेश स्तर पर **दिनांक 12.12.2015 (शनिवार)** को **"राष्ट्रीय लोक अदालत"** आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्तावित **"राष्ट्रीय लोक अदालत"** का प्रचार–प्रसार एवं उसकी सूचना सर्वसाधारण को प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा सिनेमा घरों आदि अन्य प्रसारण माध्यम से प्रसारित कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(अब्दुल शाहिद)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 616 (1) / सात–न्याय–7–2015–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।

2– सदस्य सचिव, उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जवाहर भवन लखनऊ को उनके पत्र संख्या 3384 / एसएलएसए–112 / 2015 दिनांक 19.11.2015 के संदर्भ में।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।

Sri Sagar
26/11/15

113

2916
27/11/15

स्पीड–पोस्ट/ई–मेल
परिपत्र:1060/एस.सी.डी.आर.सी./अधि./61/13

प्रेषक,

निबंधक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ. प्र.,
सी–1, विक्रान्त खण्ड–1, (शहीद पथ के बगल)
गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : : दिनॉक : 27 नवम्बर, 2015

विषयः–दिनांक 12.12.2015 को लोक अदालत आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपुर्यक्त विषय के सम्बन्ध में श्री सत्य नारायण अग्निहोत्री, मेम्बर सेक्रेट्री यू.पी. स्टेट लीगल सर्विस अथारिटी के पत्र संख्या 40/एस.एल.एस.ए–112/2015(आरआई/एसएएसएएन) दिनांक 16.11.15 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो दिनांक12.12.2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त पत्र की छायाप्रति इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि पत्र में की गई अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 12.12.15 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में सूचीबद्ध किये जाने वाले वादों की सूची सहित सूचना जिसमें केस नम्बर एवं पक्षकारों के नाम अंकित हो दिनांक 07.12.15 तक दर्ज एवं निस्तारित अनुभाग, राज्य आयोग को अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। अध्यक्ष, जिला फोरम से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दिनांक 12.12.15 को प्रत्येक दशा में राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित रहेगे, यदि कोई अध्यक्ष एवं सदस्य उक्त दिनांक को अनुपस्थित रहता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मो. रईस सिद्दीकी)
निबंधक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा. न्यायमूर्ति अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग।
2. मा. सदस्यगण, राज्य आयोग, लखनऊ।
3. श्री सत्य नारायण अग्निहोत्री,, मेम्बर सेक्रेट्री, यू.पी. स्टेट लीगल सर्विस अथारिटी, तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 16.11.15 के क्रम में।
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी निबन्धन/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अधिकारी, राज्य आयोग।
5. प्रशासनिक अधिकारी, अभिलेखागार, राज्य आयोग।
6. नजारत अनुभाग, राज्य आयोग।
7. श्री आशुतोष कुमार सिंह, अध्यक्ष, ऑल, यू.पी. कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन, लखनऊ।
8. श्री टी.एच. नकवी, अध्यक्ष, ऑल यू.पी. प्रोग्रेसिव कन्ज्यूमर बार एसोसिएशन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

(मो. रईस सिद्दीकी)
निबंधक

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के जनपदों में नियुक्त नोडल अधिकारियों एवं उनके दूरभाष नम्बर की सूची

कम सं0	जनपद	नोडल अधिकारी का नाम	पदनाम	सी0यू0जी0 नम्बर
1	सहारनपुर	श्री जगदीश शर्मा	अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण	9454401117
2	कानपुर नगर	श्री अजय प्रताप सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध	9454401073
3	बागपत	श्री विद्या सागर मिश्र	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401030
4	इलाहाबाद	श्री बजरंग बली चौरसिया	अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात	9454401201
5	आजमगढ़	श्री विनोद कुमार	अपर पुलिस अधीक्षक, नगर	9454401017
6	बुलन्दशहर	श्री पंकज कुमार पाण्डेय	अपर पुलिस अधीक्षक, खुर्जा	9454401024
7	हापुड़	डा0 ओमप्रकाश सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक	9454400436
8	शामली	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401129
9	बांदा	श्री आशुतोष शुक्ल	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401029
10	फतेहगढ़	श्री आर0बी0 चौरसिया	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401044
11	अमेठी	श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401977
12	भदोही	श्री लल्लन प्रसाद	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401115
13	अमरोहा	श्री विजय कुमार गौतम	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401068
14	पीलीभीत	श्री सुधीर कुमार सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401107
15	प्रतापगढ़	श्री दिनेश कुमार सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी	9454401944
16	एटा	श्री विसर्जन सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401041
17	फतेहपुर	श्री राज कमल यादव	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401045
18	हाथरस	श्री अजय शंकर राय	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401064
19	उन्नाव	श्री राम किशुन	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401123
20	रायबरेली	श्री राममूरत यादव	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401108
21	मऊ	श्री सुनील कुमार सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401091
22	वाराणसी	डा0 डी0पी0एन0 पाण्डेय	अपर पुलिस अधीक्षक, प्रोटोकाल/कार्यालय	9454404403
23	सुल्तानपुर	श्री प्रद्युम्न सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401120
24	बिजनौर	डा0 धर्मवीर सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण	9454401026
25	मुरादाबाद	डा0 राम सुरेश यादव	अपर पुलिस अधीक्षक, नगर	9454401095
26	सम्भल	श्री कमलेश दीक्षित	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401093
27	फैजाबाद	श्री कुलदीप नरायण	अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण	9454401049
28	मिर्जापुर	श्री अजय कुमार सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401104
29	हमीरपुर	श्री बृजेश कुमार मिश्र	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401063
30	बलिया	श्री के0सी0 गोस्वामी	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401027
31	अम्बेडकरनगर	श्री पकंज	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401006
32	बाराबंकी	श्री ज्ञानन्जय सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी	9454401020
33	रामपुर	श्री मो0 तारिक	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401109
34	महोबा	डा0 रामयश सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401092

35	चन्दौली	श्री जियालाल यादव	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401037
36	बरेली	श्री आदित्य प्रकाश	अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध	9454401034
37	अलीगढ़	श्री अरुण कुमार सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात	9454400378
38	कासगंज	श्री राधे मोहन भारद्वाज	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401042
39	आगरा	श्री अखिलेश नानायन सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401010
40	मथुरा	श्री राम मोहन सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक	9454457979
41	मैनपुरी	श्री स्वामी नाथ	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401096
42	फिरोजाबाद	श्री उदय शंकर	अपर पुलिस अधीक्षक नगर	9454401040
43	चित्रकूट	श्री राजधारी चौरसिया	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401039
44	मेरठ	श्री तेजस्वरूप सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध	9454401100
45	गाजियाबाद	श्री राकेश पाण्डेय	अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण	9695103500
46	गौतमबुद्धनगर	श्री संजय सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण	8006400358
47	मुजफ्फरनगर	श्री राकेश कुमार जोली	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401128
48	गोरखपुर	श्री मानिकचन्द्र सरोज	अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध	9454457895
49	महराजगंज	श्री हरिगोविन्द	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401097
50	कुशीनगर	श्री लाल साहब यादव	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401082
51	देवरिया	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401040
52	बस्ती	श्री वीरेन्द्र कुमार यादव	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401036
53	संत कबीरनगर	डा0 मनोज कुमार	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401071
54	सिद्धार्थनगर	श्री मंशाराम गौतम	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401112
55	गोण्डा	श्री रवीन्द्र कुमार सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401053
56	बहराईच	श्री दिनेश त्रिपाठी	अपर पुलिस अधीक्षक, नगर	9454401031
57	श्रावस्ती	श्री राजेश सक्सेना	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401122
58	बलरामपुर	श्री शैलेन्द्र कुमार राय	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401028
59	बदाँयू	श्री मुन्ना लाल	अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण	9454401021
60	शाहजहाँपुर	श्री राजेश कुमार	अपर पुलिस अधीक्षक, नगर	9454401113
61	गाजीपुर	श्री अनिल कुमार सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण	9454401060
62	जौनपुर	श्री रामजी सिंह यादव	अपर पुलिस अधीक्षक, नगर	9454401066
63	सोनभद्र	श्री शम्भू शरण यादव	अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय	9454401110
64	लखनऊ	श्री विजय पाल सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक, विधानसभा	9454401503
65	सीतापुर	श्री जय प्रकाश सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी	9454401118
66	हरदोई	श्री नित्यानन्द राय	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401062
67	खीरी	श्री अष्टभुजा सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401072
68	रमाबाई नगर	श्री ऋषिपाल सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401079
69	इटावा	श्री महात्मा प्रसाद	अपर पुलिस अधीक्षक	9454457804
70	औरैया	श्री विपुल श्रीवास्तव	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401016
71	कन्नौज	श्री सुभाषचन्द्र शाक्य	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401080
72	झांसी	श्री दिनेश सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण	9454401069
73	जालौन	श्री शकील अहमद	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401065
74	ललितपुर	श्रीमती सुधा सिंह	अपर पुलिस अधीक्षक	9454458209
75	कौशाम्बी	श्री ओ0पी0 पाण्डेय	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401081

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण/राष्ट्रीय लोक अदालत–12.12.2015/फैक्स/ईमेल

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ ।

पत्रॉक:पॉच–3–5–1998(2)/ 5664 /2015

लखनऊः दिनॉकः 24 नवम्बर,2015

समस्त अपर निदेशक अभियोजन/
समस्त संयुक्त निदेशक अभियोजन/
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

विषयः– दिनांकः 12/12/2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा अधिकरण के पत्र संख्याः 3656/एस.एल.एस.ए.–112/2015 दिनांकः 18/11/2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा दिनांकः 12/12/2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु प्रत्येक अभियोजन अधिकारी/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी को जनपद स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु उपयुक्त वादों का चिन्हांकन किये जाने एवं जनपदवार नोडल अधिकारी नियुक्त किये हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा अधिकरण के पत्र संख्याः 3656/एस. एल.एस.ए.–112/2015 दिनांकः 18/11/2015 की छाया प्रति संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पूर्व की भांति दिनॉकः 12/12/2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु प्रत्येक अभियोजन अधिकारी/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी को सी0आर0पी0सी0 की धारा 107/116, धारा–133 एवं धारा–145, आयुध अधिनियम एवं अन्य के अन्तर्गत आने वाले वादों का यथा–सम्भव अधिकाधिक चिन्हांकन करके लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण सुनिश्चित कराने एवं धारा 253 सीआरपीसी के अन्तर्गत मा0 न्यायालय के सहयोग से कतिपय मामलों का निस्तारण (अवदोषमुक्ति/उन्मोचन) किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों के जनपदवार नामित नोडल अधिकारियों का नाम मोबाईल नम्बर एवं निस्तारण हेतु चिन्हॉकित अभियोग की संख्या सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा अधिकरण, तृतीय तल, जवाहर भवन लखनऊ–226001 (फैक्सः 0522–2286260ए ईमेल–**upslsa@up.nic.in**) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं एक प्रति अभियोजन निदेशालय को भी उपलब्ध करायें।

संलग्नकः यथोक्त ।

(बी0पी0 श्रीवास्तव)
अपर निदेशक (विधि)
उ0प्र0 लखनऊ ।

प्रतिलिपिः–

(1) सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा अधिकरण, तृतीय तल, जवाहर भवन लखनऊ को पत्र दिनॉकः 18 नवम्बर, 2015 के सन्दर्भ मे सचनार्थ ।

(बी0पी0 श्रीवास्तव)
अपर निदेशक (विधि)
उ0प्र0 लखनऊ ।

24/11/2015

प्रेषक,

अपर आयुक्त स्टाम्प(प्रशासन)
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प,
उत्तर प्रदेश।

संख्या /

दिनांक–

विषय :– दिनांक 12 दिसम्बर, 2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या 3560/एस0एल0एस0ए0–112/2015 दिनांक 18 नवम्बर, 2015**(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 12 दिसम्बर, 2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधोहस्ताक्षरी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

2– उक्त पत्र दिनांक 18 नवम्बर, 2015 में निर्देशित किया गया है कि लोक अदालत में निस्तारण हेतु उपयुक्त स्टाम्पवादों का चिन्हांकन कर लें तथा इन प्रकरणों की कॉजलिस्ट तैयार कर ली जाए। इनका सम्यक् प्रचार–प्रसार नोटिस बोर्ड तथा वेबसाइट के माध्यम से करते हुए समस्त सम्बन्धित को संसूचित भी किया जाये। अधिकतम निस्तारण योग्य वादों को चिन्हांकित करते हुए सम्यक् नोटिसें निर्गत कर सम्बन्धित को तामील कराते हुए अन्य आवश्यक प्रकिया पूर्ण कर ली जाये, जिससे उक्त लोक अदालत में अधिकतम वादों को समझौतापूर्वक निस्तारित करते हुए जन सामान्य को अधिकतम लाभ प्राप्त कराया जा सके।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 12 दिसम्बर, 2015 को प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अपने जनपद के जन सामान्य में व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए अधिकाधिक वादों को निस्तारित किया जाये तथा उक्त अदालत में निस्तारित वादों एवं उससे उद्ग्रहीत धनराशि की सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे तद्नुसार उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत कराया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)
अपर आयुक्त स्टाम्प(प्रशासन)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या 2322(1-2) दिनांक 23/1

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– । वैयक्तिक सहायक, महानिरीक्षक निबन्धन, शिविर कार्यालय, लखनऊ को पत्र संख्या 4160/एस0टी0एम0नि0/शि0का0लख0/2015, दिनांक 20.11.2015 के कम में महानिरीक्षक निबन्धन महोदय के संज्ञानार्थ।

2– समस्त उप आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।

(प्रदीप कुमार)
अपर आयुक्त स्टाम्प(प्रशासन)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण के लिए, उसमें निहित स्टाम्प कमी की धनराशि को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के लिए तथा जन-सामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत स्टाम्प कमी के वादों की एक समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना निम्नवत् क्रियान्वित की जायेगी:

(1) सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी अपने न्यायालय में लम्बित समस्त स्टाम्पवादों में पक्षकारों को इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर एक नोटिस प्रेषित करेंगे, जिससे वाद के सभी सम्बन्धित पक्षकारों को इस योजना का सम्यक् ज्ञान हो जाए।

(2) दिनांक 31.10.2015 तक योजित स्टाम्प कमी के किसी भी वाद में यदि पक्षकार संदर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प कमी की धनराशि को नियमानुसार देय ब्याज के साथ अदा करने को इच्छुक है, तो पक्षकार द्वारा सम्बन्धित न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के समक्ष इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, ऐसे प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होते ही सम्बन्धित वाद में एक पक्ष के अन्दर तिथि नियत करते हुए (आवश्यकता होने पर पूर्व नियत तिथि को संशोधित करते हुए) इसी अवधि में संदर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प कमी की धनराशि की पुष्टि हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(4) संदर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प कमी की पुष्टि के उपरान्त न्यायालय उक्त नियत तिथि को पक्षकार को पुष्टि की गयी स्टाम्प कमी की धनराशि तथा ब्याज एवं रू0 10 के टोकन अर्थदण्ड की धनराशि को नियमानुसार एक सप्ताह में कोषागार के मद संख्या-0030 स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में जमा करने हेतु अवगत करायेंगे।

(5) प्रश्नगत वाद में उक्त समाधान योजना के अन्तर्गत विनिश्चित की गयी धनराशि जमा कराये जाने की रसीद के साथ प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर कोषागार से जमा धनराशि की पुष्टि न्यायालय के कर्मचारी द्वारा एक

http://shasanadesh.up.nic.in

सप्ताह के अन्दर अगली तिथि नियत करके पत्रावली पर आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

(6) तत्पश्चात न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्टाम्प कमी एवं ब्याज की धनराशि मय अर्थदण्ड के कोषागार में जमा कराये जाने की पुष्टि के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत रसीद के दृष्टिगत वाद को रू0 10 मात्र के टोकन अर्थ-दण्ड के साथ निस्तारित कर देंगे।

(7) इस प्रकार कमी की धनराशि एवं नियमानुसार देय ब्याज की धनराशि की अदायगी के उपरान्त पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रलेख पर स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-42 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र अंकित करने के साथ ही यह वाद स्टाम्प प्रभार्यता के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निस्तारित माना जायेगा।

(8) यह समाधान योजना अगले 4 माह (नवम्बर, दिसम्बर 2015, जनवरी एवं फरवरी 2016) की अवधि तक प्रभावी रहेगी। किसी भी पक्षकार द्वारा इस अवधि में, अर्थात् 29 फरवरी, 2016 से पूर्व पुष्टि की गई स्टाम्प कमी की धनराशि नियमानुसार देय ब्याज एवं रू० 10 के टोकन अर्थ-दण्ड के साथ जमा कराने पर उसे इसका लाभ प्राप्त होगा।

4- उपरोक्त योजना के अन्तर्गत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को पक्षकार द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने के एक माह के अन्दर वाद का अंतिम रूप से निस्तारण करना अनिवार्य होगा।

5- उपरोक्त योजना को जनपद स्तर पर विज्ञप्ति के माध्यम से तथा विभिन्न कार्यालयों एवं न्यायालयों में सूचनापटों पर स्पष्ट सूचना के आधार पर तथा अन्य माध्यमों से विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाय, जिससे जो पक्षकार संदर्भण आख्या में इंगित स्टाम्प कमी को देकर अपने वाद निस्तारण कराने का इच्छुक हो उन्हें नियत अवधि में यह अवसर प्राप्त हो सके।

6- समस्त जिलाधिकारी, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जनपद के सभी कलेक्टर स्टाम्प के न्यायालयों में लम्बित स्टाम्पवादों में ऐसा कोई प्रकरण निस्तारण हेतु अवशेष नहीं है, जिसमें पक्षकार के द्वारा इंगित स्टाम्प कमी को जमा कराते हुए अपने वाद के निस्तारण का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उसका वाद निस्तारित नहीं किया गया है।

7- इस अवधि में उक्त समाधान योजना के अन्तर्गत निस्तारित प्रकरणों के संदर्भ में प्रत्येक जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) एवं सहायक आयुक्त स्टाम्प निस्तारित प्रकरणों की संख्या एवं उसमें आरोपित एवं वसूल की गयी स्टाम्प कमी का विवरण आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे।

संलग्न- नोटिस का प्रारूप

भवदीय,

(अनिल कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त अपर जिलाधिकारी(वि0एवं रा0), उत्तर प्रदेश।

2- समस्त उप महानिरीक्षक, निबन्धन/ उपायुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश

3- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।

(सुधीन्द्र कुमार)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रारूप-1

न्यायालय...

(स्टाम्प-वाद समाधान योजना के अंतर्गत)

नोटिस

स्टाम्प वाद संख्या-................................./वर्ष...............भा०स्टा०अधि० की धारा-33/धारा-47ए,
वाद के पक्षकार...
श्री...पुत्र/पुत्री/पत्नी...
निवासी..परगना..
तहसील..जनपद..

आपके विरूद्ध इस न्यायालय में प्रचलित स्टाम्प कमी के वाद के संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा जनहित में समाधान योजना प्रारम्भ की गयी है। यह योजना माह नवम्बर, दिसम्बर 2015, जनवरी एवं फरवरी 2016 में प्रभावी है। इस योजना के अंतर्गत यदि आप स्टाम्प कमी की धनराशि नियमानुसार देय ब्याज के साथ जमा करने पर सहमत हो तो आपके वाद को मात्र रू० 10.00 के टोकन अर्थ-दण्ड के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया जाएगा। यदि आप उक्त योजना के अंतर्गत आपने वाद का निस्तारण के इच्छुक हैं, तो तदनुसार न्यायालय में एक पक्ष में अपनी सहमति प्रस्तुत कर दें।
वाद की सुनवाई का स्थान..
सुनवाई हेतु नियत तिथि..
आज दिनांक.........................को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

पीठासीन अधिकारी के ह०/मुहर

नोटिस दो प्रतियों मे तहसीलदार को पंजीकृत डाक से इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे पक्षकार को तामील कराकर 01 प्रति उक्त नियत तिथि से पूर्व इस न्यायालय में वापस भिजवाने की व्यवस्था करे।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2015/1063/94/स्टा०नि०-2015-700(01)/2015

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. महानिरीक्षक निबन्धन,
   उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 नवम्बर, 2015

विषयः- स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना

महोदय,

आप अवगत हैं कि जनपद स्तर पर स्टाम्प कलेक्टरों यथा जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), सहायक आयुक्त स्टाम्प तथा उप-जिलाधिकारियों के न्यायालयों में काफी संख्या में स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-33 व 47ए(1) एवं 47ए(3) के अन्तर्गत स्टाम्पवाद योजित है, जिनमें राज्य सरकार की राजस्व क्षति का बिन्दु निहित है। इन वादों के त्वरित गति से निस्तारण से जहाँ राज्य को इंगित स्टाम्प कमी के सापेक्ष धनराशि शीघ्र प्राप्त हो सकेगी, वहीं संबंधित पक्षकारों को भी न्याय में विलम्ब के कारण बढ़ने वाली ब्याज की देयता से राहत प्राप्त होगी।

2- प्रदेश स्तर पर स्टाम्प वादों के निस्तारण की विषद विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इन वादों के निर्णय में बहुधा अतार्किक एवं बिना सम्यक आधार के अत्यधिक अर्थ-दण्ड आरोपित किया जाता है, जिससे वादकारियों द्वारा स्टाम्प अपवंचन में निहित धनराशि न जमा कर अर्थदण्ड समाप्त कराने हेतु अपील/रिट योजित की जाती है। इस कारण राज्य सरकार को स्टाम्प कमी की मूल धनराशि भी समय से प्राप्त नहीं हो पाती है एवं प्रकरण अनावश्यक रूप से मुकदमेंबाजी में उलझ जाता है।

rti.upshasanadesh.up.nic.in

12/7/2015 Bank of Baroda @gov.in

Dear Sir,
We humbly request reference of the trailing mail and provide you the following data pertaining to Faizabad and Gorakhpur Regions :

A) The **nodal officers** identified at Regional Offices viz. Faizabad and Gorakhpur are as follows :

1) Regional Office, Faizabad : Himanshu Sharma (Mobile 9554968314)

2) Regional Office, Gorakhpur : Ashish Singh (Mobile 07571009910)

B) The Nodal Officers identified at District level are as follows :

Sl. No.	District	Name of Nodal Officer	Mobile no.
1	Ambedkarnagar	A.P. Singh, LDM	9554968200
2	Faizabad	O.P. Shukla, LDM	9554968222
3	Azamgarh	Amit Sinha	9554968291
4	Basti	B.R. Yadav	9554968266
5	Deoria	D.K.Singh	9554968279
6	Gonda	D.K. Tandon	9554968269
7	Gorakhpur	G.J. Pandey	9554968263
8	Mau	S.K. Mahto	9554968275
9	Sant Kabeer Nagar	K. K. Pandey	9554968268
10	Balia	A.Q. Siddiqui	9554968282

Dear Sir,

Bank of Baroda

We are submitting the eligible cases to be covered under Lok Adalat.Please find the attachment.

NODAL OFFICER IDENTIFIED FOR THE REGION ALLAHABAD AND DISTRICT ALLAHABAD & KAUSHAMBI
(COMES UNDER ALLAHABAD REGION) FOR NATIONAL LOK ADALAT TO BE HELD ON 12.12.2015

Sr No	Name	Designation	Contact No	e-mail id	Nodal Officer
01	Atish Chandra Mishra	LDM,Allahabad	9554951879	ldm.allahabad @bankofbaroda.com	Allahabad District
02	Dinesh Mishra	LDM,Kaushambi	9554951705	ldm.kaushambi@bankofbaroda.com	Kaushambi District
03	Rajiv Ranjan Jha	Sr Manager ,Recovery	9554951886	Recovery.allahabad@bankofbaroda.com	Regional Office,Allahabad

Regards..

(R.R. Jha)

Sr. Manager
वसूली विभाग

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

BOB/ROLUC/REC/2015-16/ 395

Date: 20.11.2015

CIRCULAR LETTER TO ALL BRANCHES OF LUCKNOW REGION

Dear Sir,

Re: Nodal officer for " NATIONAL LOK ADALAT" on 12-12-2015

With reference to the captioned subject our Region has identified the following District Nodal Officer for National Lok Adalat to be held on 12-12-2015.

Sr. No	Name of Nodal Officer	Designation	Branch	District Allotted	Mob. No.
1	Mr.Ashutosh Verma	Branch Manager	Sitapur	Sitapur	8090004208
2	Mr. S.K.Pandey	Chief Manager	Barabanki	Barabanki	8090004127
3	Mr. D.K.Pandey	Chief Manager	Bahraich	Bahraich	7565008642
4.	Mr. S.N.Dixit	Sr.Branch Manager	Bhinga	Shrawasti	7565008649
5	Mr. Narendra Prasad	Sr.Manager(Rec.)	R.O.Lucknow	Lucknow	7565008616
6	Mr. Rajesh Kumar Arora	AGM. ARMB	ARMB Branch,Lucknow	FOR DRT CASES	8090002389

Branches are hereby advised to submit the copy of Notices in respect of all eligible NPA/TWO/PWO accounts to the respective District Nodal Officer latest by 23.11.2015.

Nodal Officer to ensure that all NPA borrowers to participate the National Lok Adalat in respective Districts.

For any clarification/guidance please feel free to contact Mr.Arvind Sharma Manager (Legal),ARMB. LUCKNOW, Mob. No. 7565008619.

Yours faithfully,

(Pradeep Srivastava)
Dy. General Manager

क्षेत्रीय कार्यालय - द्वितीय तल, वी-23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010
Regional Office - IInd. Floor, V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
फैक्स/Fax : 0522-6677667, फोन/Phone : 0522-6677670, 6677744, 6677663, 6677660

ƎAL.UPU

From: Recovery.Allahabad
Sent: Monday, December 07, 2015 1:36 PM
To: LEGAL.UPU
Subject: Detail Relating Lok Adalat

Dear Sir,

NODAL OFFICER IDENTIFIED FOR THE REGION ALLAHABAD AND DISTRICT ALLAHABAD & KAUSHAMBI (COMES UNDER ALLAHABAD REGION) FOR NATIONAL LOK ADALAT TO BE HELD ON 12.12.2015

Sr No	Name	Designation	Contact No	e-mail id
01	Atish Chandra Mishra	LDM,Allahabad	9554951879	ldm.allahabad @bankofbaroda.com
02	Dinesh Mishra	LDM,Kaushambi	9554951705	ldm.kaushambi@bankofbarod
03	Rajiv Ranjan Jha	Sr Manager ,Recovery	9554951886	Recovery.allahabad@bankofba

Regards..

(R.R. Jha)

Sr. Manager
वसूली विभाग
इलाहाबाद क्षेत्र

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

Mob: +91-9554951886
यदि इस मेल को प्रिंट करने की आवश्यकता न हो तो प्रिंट न करें बल्कि इसकी सॉफ्ट कॉपी रखें

विजया बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
आपका भरोसेमंद साथी

VIJAYA BANK
(A Govt. of India Undertaking)
A friend you can bank upon

Ref-ROL/LEGAL/Lokadalat-12Dec/2015 07/12/2015

To,
Sri Tej Pratap Tiwari
Secretary,
U.P Rajya Vidhik Sewa Pradhikaran
Jawahar Bhawan Annexe,
Lucknow 226001

Sub-Data Relating to Cases to be referred to in National Lok Adalat to be conducted on 12/12/2015

In the above matter, please be informed that the following number of cases have been identified by our Regional Office, Lucknow pertaining to branches under our jurisdiction, for pursuing in the National Lok Adalat to be conducted on 12/12/2015.

	No.	Amount (in Lacs)
1. No of Suit Filed/Pre-Litigation	312	294.73
2. No of Cases referred to DRT Allahabad	06	101.22

The notices are being issued from the respective branch offices and therefore the respective branch head have been designated as nodal officers.

We are sending our Law officer, Ms.Veena Gangadharan Ayyar, who has been nominated as Nodal Officer to attend the meeting today in your office premises and for co-coordinating with the branches to conduct the Lok Adalat on 12/12/2015.

Kindly acknowledge receipt of this letter.

विजया VIJAYA BANK R.O., Lucknow क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

Chief Manager

क्षेत्रीय कार्यालय, 333, प्रथम तल, लेखराज मार्केट-3, फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ - 226016
Regional Office, 333, I[st] Floor, Lekhraj Market-3, Faizabad Raod, Indira Nagar, Lucknow-226016
दूरभाष Phone 0522 – 2349742, 2352503 फैक्स Fax 0522 – 2349668
ई-मेल E-Mail – luc.ro9112@vijayabank.co.in

Name of Nodal Officers for Districts of Uttar Pradesh
For National Lok Adalat to be held on 12th December, 2015

Sl. No.	Name of District	Name and Designation of Nodal Officer	Contact number
1	Allahabad High Court	Mr. Rajeev Saxena, Manager	9935254141
2	Allahabad MACT	Mr. Surendra Verma, Asstt. Manager	9793482384
3	Ambedkar nagar	Mr. S.S. Pandey, Sr. Branch Manager	9415076931
4	Auraiya	Mr. Atul Yadav, Admin. Officer	9554270426
5	Azamgarh	Mr. Baleshwar Mishra, Branch Manager	9415674498
6	Bahraich	Mr. B.R. Prasad, Admin. Officer	9935981283
7	Ballia	Mr. Ranjan Kumar, Admin. Officer	9304951250
8	Balrampur	Mr. Manu Pandey, Branch Manager	9452292561
9	Banda	Mr. Chandra Mohan Srivastava, Sr. Asstt.	9415897478
10	Barabanki	Mr. Anil Sachdeva, Sr. Branch manager	9415069947
11	Basti	Mr. Shailendra Arya, Branch Manager	9145648528
12	Chandauli	Mr. Minhaz Ahmad, Sr. Assistant	9532769980
13	Chitrakoot	Mr. Chandra Mohan Srivastava, Sr. Asstt.	9415897478
14	Deoria	Mr. Manas. Admin. Officer	9452900578
15	Etawah	Mr. R.P. Kamal, Sr. Branch Manager	9936711251
16	Faizabad	Mr. Sandeep Malik, Admin. Officer	9473582789
17	Farrukhabad	Mr. Anil Kumar, Admin. Officer	9453135475
18	Fatehpur	Mr. U.K. Tripathi, Assistant	9450854537
19	Ghazipur	Mr. Raj Kishor Patel, Admin. Officer	05422418241
20	Gonda	Mr. Rakesh Sonkar, Admin. Officer	9839175677
21	Gorakhpur	Mr. Anand Prakash Gupta, Admin. Officer	9559970864
22	Gyanpur	Mr. Arun Srivastava, Asstt. Manager	9450406808
23	Hamirpur	Mr. Ranjeet Singh, Assistant	9935775328
24	Hardoi	Mr. D.R. Dhameja, Sr. Branch Manager	9415184437
25	Jaunpur	Mr. Vishal Malhotra, Admin. Officer	9896509984
26	Jhansi	Mrs. Sunita Aggarwal, Asstt. Manager	9897045811
27	Kannauj	Mr. Manoj Pandey, Admin. Officer	9450348955
28	Kanpur Dehat	Mr. V.K. Awasthi, Admin. Officer	9794423747
29	Kanpur Nagar	Mr. Debashish Ganguli, Dy. Manager	9838839606
30	Kaushambi	Mr. Basant Ram, Dy. Manager	9918429570
31	Kushinagar	Mr. Surendra Singh, Admin. Officer	9369454921
32	Lakhimpur	Mr. Prajesh Sinha, Admin. Officer	9415151433
33	Lalitpur	Mr. Dinesh Chandra, Assistant	9451495778
34	Lucknow	Mr. Mohd. Khalid, Manager	9415043545
35	Maharaj Ganj	Mr. Rakesh Soni, Dy. Manager	9452117119
36	Mahoba	Mr. Rameshwar, Assistant	8004965138
37	Mainpuri	Mr. Mahesh Chandra, Admin. Officer	9458240743
38	Mau	Mr. Lal Chand, Asstt. Manager	8765599209
39	Mirzapur	Mr. Gyan Chandra, Admin. Officer	9453884774
40	Orai	Mr. S.M. Pateria, Assistant	9451918470
41	Pratapgarh	Mr. Sanjiv K. Singh, A.O.	9555440716
42	Rae Bareli	Mr. Balram, Asstt. Manager	9450621838
43	Sant Kabir Nagar	Mr. Dhiraj Kumar, Divisional Manager	9648425180
44	Shrawasti	Mr. Mansha Ram Yadav, Branch Manager	9415717905
45	Siddharth Nagar	Mr. Shailesh Yadav, Admin. Officer	9792927411
46	Sitapur	Mr. Vikas Srivastava, Admin. Officer	9415567025
47	Sonbhadra	Mr. M.M. Singh, Admin. Officer	9452638449
48	Sultanpur	Mr. Manok Kr. Bihari, Assistant	9450610713

विधि प्रकोष्ठ
फोन नं.: 2235451

49	Unnao	Mr. Rajendra Prasad, Sr. Assistant	8601296523
50	Varanasi	Mr. Rahul Srivastava, Admin. Officer	9455538824

विधि प्रकोष्ठ
फोन नं.: 2235451

- 112/15

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश
शालीमार टावर (लक्ष्मी काम्पलेक्स),
विभूति खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ ।

संख्या– पॉच–3–5–98(2)/ 5780/2015 दिनांक: 30–11–2015

समस्त परिक्षेत्रीय अपर निदेशक अभियोजन/
मण्डलीय संयुक्त निदेशक अभियोजन,उ0प्र0/
समस्त संयुक्त निदेशक अभियोजन/
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी , जनपद ,उ0 प्र0 ।

दिनांक 28–11–2015 को मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित अधिक से अधिक मुकदमों को चिन्हित कर उनके पक्षकारों को दिनांक 12–12–2015 को आयोजित लोक अदालतों में बुलाकर मामलों का निस्तारण करा दिया जाय ।तद्नुसार आप अपने जनपद के न्यायालयों के न्यायाधीशों से सम्पर्क स्थापित कर अधिक से अधिक मुकदमों को चिन्हित करा लें और उनके सम्मन तैयार कराकर थानों को भेज कर तामील करवायें ताकि अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण कराया जा सके । प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी स्वयं इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी रहेंगे ।

(डा0 सूर्य कुमार)
पुलिस महानिदेशक अभियोजन,
उ0प्र0,लखनऊ ।

प्रतिलिपिः– 1– अपर पुलिस महानिदेशक ,अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0,लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह प्रदेश के सभी थाना प्रभारियों को अधिक से अधिक सम्मन तामीला कराने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश अपने स्तर से जारी करने का कष्ट करें ।

2– सचिव, राज्य विधिक सेवा अधिकरण ,तृतीय तल ,जवाहर भवन,लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अधिक से अधिक मुकदमों को चिन्हित करने के लिए जनपदीय न्यायाधीशों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

Sri Saran
1/12/15

(डा0 सूर्य कुमार)
पुलिस महानिदेशक अभियोजन,
उ0प्र0,लखनऊ ।